TEN RUPEES | TWO RUPEES | TWO RUPEES | ONE RUPEE

(9)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक : R515-III/08 /2008

रामरती बेवा पुरूषोत्तम राठौर पुत्री कामता राठौर, निवासी–ग्राम बेलियां तहसील बुढ़ार, जिला शहड़ोल (म.प्र.)

---- आवेदिका

बनाम

1. फुंदिया बाई पत्नी समनू बैगा, निवासी– ग्राम–बर्री, तहसील जैतहरी, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
2. ललिताराम सोनवानी पिता अंगदराम सोनवानी, निवासी– ग्राम कस्तूरी, पो. बिलासपुर, तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर (म.प्र.) हाल निवास–हाउसिंग बोर्ड कॉलौनी, शहडोल(म.प्र.)
3. तहसीलदार राठौर पिता कामता राठौर निवासी–बर्री
4. रमईया पिता कामला राठौर, निवासी– भगतबांध,
5. पूरन पिता कामता राठौर, निवासी–भगतबांध
6. रामप्रसाद उर्फ नानदाऊ पिता कामता राठौर, निवासी– ग्राम–बेला
7. अगसिया पुत्री घिसला भरिया, निवासी–बर्री,
8. कुंवरिया बाई पुत्री घिसला भरिया, निवासी– बर्री, तहसील जैतहरी, जिला अनूपपुर,
9. गेंदलाल पिता चरकू राठौर निवासी– अनूपपुर तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)

-----अनावेदकगण

श्री .... द्वारा आज दि. 31/7/08 को प्रस्तुत।
अवर सचिव राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

श्री .... द्वारा आज दि. 31/07/08 को प्रस्तुत।
अवर सचिव राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

31-7-08

न्यायालय अपर कमिश्नर रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 404/अपील/06–07 में पारित आदेश दिनांक 02/05/08 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण ।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-915-तीन/08 **जिला** - अनूपपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29.06.2019	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 404/अपील/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 02.05.2008 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नामांतरण पंजी क्र. 9 के द्वारा दिनांक 05.05.1982 को नामांतरण आदेश पारित किया गया। इस आदेश के विरुद्ध आवेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी क समक्ष अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 13.11.2006 द्वारा नामांतरण आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 02.05.2008 द्वारा स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित नामांतरण आदेश स्वीकृत किया गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदिका सहभूमि स्वामी को सूचना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना नियम 27 में उपबंधित प्रक्रिया का पालन किए बिना अधिकारिता रहित नामांतरण आदेश किया गया है, जिसे स्थिर नहीं रखा जा सकता। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष कि राजस्व न्यायालय को रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र की	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि... आदि के हस्ताक्ष...
	वैधता की जांच करने की अधिकारिता नहीं है। यह निष्कर्ष इस प्रकरण के तथ्यों से लागू नहीं होता। जब किसी व्यक्ति द्वारा बिना अधिकार के विक्रय कर दिया जाता है। तब ऐसे विक्रय-पत्र के आधार पर क्रेता का नामांतरण नहीं किया जा सकता। 4/ अनावेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए यह निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है। 5/ उभयपक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा आलोच्य आदेश का परिशीलन किया गया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि राजस्व अभिलेख वर्ष 2004-05 में भूमिस्वामी कॉलम में अनावेदक क्र. 1 का नाम दर्ज है तथा अनावेदक क्र. 1 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र के द्वारा दिनांक 26.10.2005 को विवादित आराजी अनावेदक क्र. 2 के पक्ष में निष्पादित कर दिया और विक्रय-पत्र के आधार पर अनावेदक क्र. 2 क पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया गया। चूंकि नामांतरण से किसी के स्वत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अनुविभागीय अधिकारी का यह तथ्य मान्य योग्य नहीं है कि भूमि का विक्रेता मात्र अपने हक व हिस्से का अंशभाग ही विक्रय कर उसका नामांतरण कराने का अधिकारी था, किंतु उसने अपने हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय कर नामांतरण करा दिया है। चूंकि राजस्व न्यायालय रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र की वैधता या अन्यथा की जांच नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत 2004 आर.एन. 325 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि "रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण राजस्व न्यायालय द्वारा आदेशित किया जाएगा - राजस्व न्यायालय द्वारा ऐसे विलेखों की वैधता या अन्यथा जांच नहीं की जा सकती है।" ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश राजस्व न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पारित किया गया है। उक्त आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश उचित	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-915-तीन/08 **जिला** - अनूपपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	है, जिसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.05.2008 स्थिर रखा जाता है। उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापस हो। **(महेश चन्द्र चौधरी)** **सदस्य**	